ISSN2393-8838

Rs.10/-

Date of Publishing 19th July Vol. No.37 Issue No. 7

JULY 2026

मासिक

इसलाहे समाज

समाज सुधारक पत्रिका

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

‘‘प्पने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इन्सान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तू पढ़ता रह तेरा रब बड़ा करम वाला है। जिसने क़लम के ज़रिये ज्ञान सिखाया, जिसने इन्सान को वह सिखाया जिसे वह नहीं जानता था।’’ (सूरे अलक़ १-४)

मेहमान का सम्मान ईमान की निशानी है

मुहम्मद अज़हर मदनी

हजरत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो व्यक्ति अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वह अपने मेहमान का सम्मान करे। जो व्यक्ति अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वह अपने पड़ोसी को कष्ट न पहुँचाए। और जो व्यक्ति अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वह अच्छी बात कहे या चुप रहे। एक दूसरी रिवायत में पड़ोसी का उल्लेख करने के बजाय यह है कि वह रिश्तेदारों के साथ संबंध (सिलारहमी) बनाए रखे। (सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम) इस्लाम ने इबादतों से लेकर सामाजिक व्यवहार तक जीवन के हर पहलू में हमारी राहनुमाई की है। पड़ोसी है तो उसके क्या अधिकार हैं, गरीब है तो उसके क्या अधिकार हैं, रिश्तेदार है तो उसके क्या अधिकार हैं, अजनबी है तो उसके क्या अधिकार हैं और मेहमान है तो उसके क्या अधिकार हैं इन सबकी स्पष्ट शिक्षा इस्लाम ने दी है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सम्मान चाहता है। इस्लामी शरीअत के अनुसार हर इंसानेंचाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, पुरुष हो या महिला सम्मान का अधिकारी है। उपरोक्त हदीस में विशेष रूप से मेहमान के अधिकारों का उल्लेख किया गया है यह शिक्षा दी गई है कि जो व्यक्ति अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे अपने मेहमान का आदर-सत्कार करना चाहिए। जब कोई मेहमान घर आए या किसी अवसर पर आए, तो उसका भरपूर स्वागत, सेवा और दिल से सम्मान करना चाहिए। हदीस के शब्दों से स्पष्ट होता है कि मेहमान की इज़्जत करना, पड़ोसी को तकलीफ न देना और रिश्तों को बनाए रखना एक सच्चे मोमिन की पहचान है। एक दूसरी हदीस में मेहमाननवाजी की अवधि और उसके नियम बताए गए हैं। हजरत अबू शुरैह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो व्यक्ति अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वह अपने मेहमान का सम्मान करे। एक दिन और एक रात विशेष रूप से उसका अच्छा सत्कार करे। मेहमान नवाजी तीन दिन तक है, उसके बाद जो कुछ किया जाए वह सदका है। और मेहमान के लिए यह उचित नहीं कि वह इतना अधिक ठहरे कि मेजबान को कठिनाई में डाल दे। (सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम) जिस प्रकार मेजबान को तीन दिन तक मेहमान की सेवा करने की शिक्षा दी गई है, उसी प्रकार मेहमान को भी यह शिक्षा दी गई है कि वह मेजबान के यहाँ इतना अधिक न ठहरे कि मेजबान और उसके परिवार को परेशानी और तंगी का सामना करना पड़े। यदि किसी व्यक्ति के पास साधन होने के बावजूद वह लापरवाही या बुरे स्वभाव के कारण किसी मेहमान की मेहमाननवाजी न करे, और बाद में वही व्यक्ति स्वयं उसके यहाँ मेहमान बनकर आए, तब भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेहमान की सेवा न करना एक मोमिन की शान के खिलाफ है। चुनाँचे एक रिवायत में है अबुल अहवस अल-जुशमी अपने पिता से बयान करते हैं कि उन्होंने कहाः मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! यदि मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊँ और वह मेरी मेहमाननवाजी न करे, फिर बाद में वह मेरे पास आए, तो क्या मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँ या उसकी मेहमाननवाज़ी करूँ? आप ने फरमायाः नहीं, बल्कि तुम उसकी मेहमाननवाजी करो। (सुनन तिर्मिजी) इन तमाम अहादीस से यह स्पष्ट होता है कि मेहमान का सम्मान और उसकी सेवा करना एक सच्चे मोमिन की पहचान है। यदि कोई व्यक्ति किसी उचित कारण या मजबूरी की वजह से किसी की मेहमाननवाजी न कर सका हो, तो बदले में उसे भी मेहमान नवाजी से वंचित नहीं करना चाहिए। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सबको मेहमानों के अधिकारों को सही ढंग से अदा करने की तौफीकः अता फरमाए। आमीन।

मासिक
इसलाहे समाज
जुलाई 2026 वर्ष 37 अंक 7
मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. मेहमान का सम्मान ईमान की निशानी 02
2. सदभावना और भाई चारे का महत्व 04
3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ 06
4. ग़लत तरीक़े से ...माल न खाओ 08
5. बीमार दिलों का इलाज 11
6. किसी के घर में झाँकना हराम है 13
7. गर्मी और जहन्नम का अज़ाब 15
8. इस्लाम में शिक्षा और प्रशिक्षण के शिष्टाचार और शिक्षक की ज़िम्मेदारियाँ 19
9. दहेज समाज के लिये हानिकारक 22
10. शादी में फिज़ूलखर्ची 24
11. आतंकवाद के खिलाफ अहले हदीस ओलमा का सामूहिक फ़तवा 25
12. मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म 27
13. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सदभावना और भाईचारे का महत्व

नौशाद अहमद

इस्लाम ने भाई चारे के लिये जो दृष्टिकोण पेश किया है उसका आधार अत्यंत दृढ़ है और यह समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है, अगर किसी वर्ग या विशेष समुदाय को भाईचारा से वंचित कर दिया जाये तो इस भाई चारे का वह फल नहीं मिलता या उसका वह परिणाम सामने नहीं आता जो इस्लामी भाईचारे की आधार शिला है।

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''ऐ लोगो अपने परवर दिगार (पालनहार) से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी, उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो बेशक अल्लाह तआला तुम पर निगेहबान है।'' (सूरे निसा-१)

कुरआन की इस आयत में इन्सानों से संबोधित करते हुये कहा गया है कि जब तुम एक ही मां बाप से पैदा किये गये हो तो फिर आपस में एक दूसरे से भेद भाव क्यों? इस्लाम ने धर्म के अन्तर को किसी के साथ भेदभाव की बुनियाद बनाने की निन्दा की है। इस्लाम की नज़र में इन्सान की हैसियत से सब बराबर हैं। हर वर्ग का जरूरतमन्द मदद का पात्र है, मदद करते वक्त उसके समुदाय को नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत को देखा जाये गा, भाई चारा के बारे में इस्लाम की यह स्पष्ट शिक्षा और सिद्धांत है और इसी शिक्षा और सिद्धांत पर इस्लाम के सच्चे अनुयायी चलते रहे। दूसरे ख़लीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अल्लाहो एक बार शाम की यात्रा पर गये थे, रास्ते में कोढ़ के मज़्र में लिप्त कुछ गैर मुस्लिम लोगों को देखा तो बेचैन हो गये। आप ने इन लोगों के धर्म को न देखते हुए उनकी इन्सानी ज़रूरत को देखा और यह आदेश दिया कि इनको वजीफा जारी किया जाये ताकि इनकी जिन्दगी की ज़रूरत पूरी हो सके। यह भाई चारे का एक उज्जवल इतिहास है। एक मय्यत को देख कर ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० खड़े हो गये पैरवी में आप के प्यारे साथी (सहाबा) भी खड़े हो गये किसी ने बताया कि ऐ ईश्दूत यह तो एक यहूदी का जनाज़ा है तो आपने कहा कि यह भी तो इन्सान है।

सदभावना, एक दूसरे के बारे में अच्छी राय रखने एक दूसरे का सम्मान करने और एक दूसरे को समझने का नाम है। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर विभिन्न धर्मों और मतों के लोग रहते और बस्ते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान रखते हुये मिल जुल कर रहना, सदभावना का मूल सिद्धांत है इस्लाम ने इस सिद्धांत को समाज में लागू करके दिखाया है इस्लाम के इतिहास को पढ़कर इस दावे की हकीकत को समझा जा सकता है इस्लामी शासन काल में अन्य वर्गों और समुदायों के

साथ जो व्यवहार रहा है यह इस बात की ठोस और व्यवहारिक दलील है।

आज़ादी की सोच संसार के हर हिस्से में पायी जाती है इस्लाम ने आज़ादी के बारे में जो विचार पेश किये हैं वह भी एक आदर्श की हैसियत रखते हैं। इस्लाम में धर्म अपनाने की आज़ादी का जो दृष्टिकोण पेश किया गया है वह अत्यंत अनोखा और स्पष्ट है। कुरआन ने स्पष्ट शब्दों में एलान किया है कि धर्म के मामले में कोई जोर जबर दस्ती नहीं है, इस्लाम और मुसलमानों ने कभी भी धर्म के मामले में जोर जबरदस्ती की वकालत नहीं की है, कुरआन में दूसरी जगह पर यह साफ एलान है ''तुम्हारा दीन तुम्हारे लिये है और मेरा दीन मेरे लिये है''। धर्म के मामले में आज़ादी की इससे स्पष्ट शिक्षा क्या हो सकती है। भाई चारा, सदभावना और आज़ादी इन तीनों का इस्लाम ने सपोट किया है जो इस्लाम के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हैं वह कुछ लोगो के गुमराहकुन लेख को पढ़कर इस्लाम के बारे में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखने की कोशिश करें ताकि कोई भी हम को भ्रमित करने में कामयाब न हो सके। हमें यह भी याद रखना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि किसी एक व्यक्ति के गलत कर्म को बुनियाद बना कर किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया जा सकता, दुनिया की कोई किताब और दुनिया का कोई भी कानून इस की वकालत नहीं करता है और यह अक्ल के भी खिलाफ है।

आज़ादी की सोच संसार के हर हिस्से में पायी जाती है इस्लाम ने आज़ादी के बारे में जो विचार पेश किये हैं वह भी एक आदर्श की हैसियत रखते हैं। इस्लाम में धर्म अपनाने की आज़ादी का जो दृष्टिकोण पेश किया गया है वह अत्यंत अनोखा और स्पष्ट है। कुरआन ने स्पष्ट शब्दों में एलान किया है कि धर्म के मामले में कोई जोर जबर दस्ती नहीं है, इस्लाम और मुसलमानों ने कभी भी धर्म के मामले में जोर जबरदस्ती की वकालत नहीं की है, कुरआन मे दूसरी जगह पर यह साफ एलान है ''तुम्हारा दीन तुम्हारे लिये है और मेरा दीन मेरे लिये है''। धर्म के मामले मे आज़ादी की इससे स्पष्ट शिक्षा क्या हो सकती है।

आइये हम यह संकल्प करते हैं कि हम एक दूसरे के धर्म को संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के बारे में बदगुमानी से बचें गे और इन्सान की हैसियत से एक दूसरे का सम्मान करेंगे।

क्योंकि किसी के धर्म बारे में दुष्प्रचार, गलत प्रोपैगण्डा हमें गलत दिशा में ले जाये गा। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिये जो संविधान और कानून के दायरे में हो। धर्म हमें अच्छे कर्म के लिये प्रेरित करता है।

❑❑❑

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ

प्रोफेसर डाक्टर ज़ियाउर रहमान आजमी

इस लेख के शीर्षक का अर्थ है अल्लाह के नाम से, जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान् है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण काम करने से पूर्व बिस्मिल्लाह पढ़ना आवश्यक है। कुरआन में सूरा-६, अत-तौबा के अतिरिक्त प्रत्येक सूरा का आरम्भ इसी कलिमे से होता है। इसलिए कुछ विद्वानों का विचार है कि

बिस्मिल्लाहि-र्रहमानिर्रहीम प्रत्येक सूरा की पहली आयत है। इसलिए जब भी कोई नई सूरा पढ़ी जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना अनिवार्य है केवल सूरा-६, अत-तौबा के अतिरिक्त। और जो विद्वान इसे सूरा की आयत नहीं मानते, उनके विचार में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मन-ही-मन में पढ़ लेना चाहिए। हाँ, इस बात पर सभी लोग सहमत हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा-२७, अन-नम्ल की एक आयत है, क्योंकि सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने जो पत्र सबा की रानी के नाम लिखा था उसका प्रारम्भ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही से किया था- वह बोली ऐ सरदारो ! मेरे पास एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्र आया है। वह सुलैमान की ओर से है। और वह यह है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान है। (अर्थात बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम से आरंभ किया गया है) (सूरा-२७,अन-नम्ल, आयतें-२६,३०)

इसी प्रकार नूह (अलैहिस्सलाम) ने भी नौका बनाने के बाद लोगों से कहा - तथा नूह ने कहा, इस नाव में बैठ जाओ। अल्लाह ही के नाम से इसका चलना तथा ठहरना है। (सूरा-११, हूद, आयत-४१)

सहीह हदीसों में आया है कि नबी स्वयं भी किसी काम से पहले बिस्मिल्लाह कहा करते थे, और अपने साथियों को भी ऐसा करने का आदेश देते थे। एक बार आप (के पास कुछ खाना आया आपके साथ उमर-बिन-अबी सलमा बैठे थे। वे आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे-सलमा के पुत्र थे। वे थाल में रखे हुए खाने को इधर-उधर से खा रहे थे। इस पर आप ने आदेश दिया-

ऐ बच्चे ! अल्लाह का नाम ले, दाएँ हाथ से खा और जो तुझसे निकट है उसमें से खा। (बुखारी ५३७६ तथा मुस्लिम, २०२२)

अल्लाह का नाम ले अर्थात् बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू कर।

इस हदीस से जहाँ यह पता चलता है कि हर काम से पहले बिसम्मिल्लाह कहना चाहिए, वहीं खाने-पीने के आदाब का भी पता चलता है।

अगर कोई व्यक्ति किसी काम के प्रारम्भ में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले। क्योंकि जो काम भी अल्लाह के नाम के साथ प्रारम्भ किया जाएगा उसमें बरकत होगी, परन्तु एक प्रसिद्ध हदीस में कहा गया है कि जो काम

बिसुस्मिल्लाह से आरम्भ न किया जाए वह अधूरा और बेबरकत है।

इसी प्रकार अनिवार्य है कि पशु जिब्ह करते समय अल्लाह का नाम लिया जाए। और अगर अल्लाह का नाम न लिया गया तो उसका खाना वर्जित है -जिस (पशु) पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे न खाओ, निश्चय ही उसका खाना आज्ञा का उल्लंघन है। (सूरा-६, अल-अनआम, आयत-१२१)

और इसी के साथ-साथ यह भी फरमाया गया-

'यदि तुम उसकी आयतों पर ईमान रखनेवाले हो तो फिर जिस (पशु) पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ। (सूरा-६, अल-अनआम, आयत-११८)

मुसलमान पर अनिवार्य है कि जिब्ह करते समय बिस्मिल्लाह कहे। अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो ऐसी दशा में वह जानवर हलाल नहीं रहेगा। परन्तु अगर इस बात में सन्देह हो गया हो कि अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं तो सन्देह की इस दशा में नबी (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) का आदेश है कि तुम अल्लाह का नाम लो और उसे खाओ। (सहीह बुख़ारी, ५५०७)

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर फून करें। 011-23273407

ग़लत तरीक़े से एक दूसरे का माल न खाओ

अब्दुल मन्नान शिकरावी

कुछ लोग कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन लेते समय ही उसे लौटाने का इरादा नहीं रखते या टालमटोल करने की नीयत रखते हैं। अल्लाह के यहाँ बंदों के अधिकार (हक़ूक़ुल-इबाद) का बहुत बड़ा महत्व है। इन अधिकारों की अदायगी के बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। यह अदायगी उस दिन आने से पहले कर लेनी चाहिए, जिस दिन ध ान-दौलत से लेन-देन नहीं होगा, बल्कि नेकियों और गुनाहों का हिसाब होगा।

अल्लाह तआला का फरमान हैः निस्संदेह अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुँचा दो। (सूरह अन-निसाः ५८)

बहुत से लोग बिना आवश्यकता के कर्ज लेने में लापरवाही करते हैं। यह केवल ऐशो-आराम, दिखावे या दूसरों की बराबरी करने के कारण होता है। कर्ज लेने में लापरवाही, उसकी अदायगी में टालमटोल और दूसरों का माल नष्ट करने का कारण बनती है।

हजरत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी करीम ने इस कार्य के परिणाम से सावधान करते हुए फरमायाः

जो व्यक्ति लोगों का माल उसे लौटाने की नीयत से लेता है, अल्लाह उसकी अदायगी करा देता है। और जो उसे बर्बाद करने की नीयत से लेता है, अल्लाह उसे ही बर्बाद कर देता है। (सहीह बुखारी)

बिना आवश्यकता लोगों से माँगना

कुछ लोग व्यापारियों के पास बार-बार जाकर अपने आपको जकात का हकदार बताते हैं, जबकि उनका यह दावा झूठा होता है। कुछ लोग मस्जिदों और रास्तों में लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, जबकि वे वास्तव में जरूरतमंद नहीं होते। यह लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के समान है।

ऐसे लोगों को नबी करीम की यह चेतावनी याद रखनी चाहिएः

जो व्यक्ति लोगों से लगातार माँगता रहता है, वह क़्यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर माँस नहीं होगा।

और सहीह मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमायाः

जो व्यक्ति अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से माँगता है, वह वास्तव में आग के अंगारे माँगता है चाहे कम माँगे या ज़्यादा।

नाजायज तरीके से लोगों का माल खाने से बचने के उपाय

१. अल्लाह का डर और जवाबदेही का एहसास पैदा किया जाए।

ऐसी परवरिश की जाए कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर और उससे शर्म करने का जज़्बा हो। जब इंसान को यह एहसास रहता है कि अल्लाह हर समय उसे देख रहा है, तो वह न किसी पर जुल्म करता है और न ही किसी का माल हड़पता है। उसे मालूम होता है कि इससे अल्लाह नाराज होता है और उसका अजाब बहुत कठोर है। यदि दुनिया में वह बच भी गया, तो कियामत के दिन बचने का कोई

रास्ता नहीं होगा।

२. हलाल रोजी कमाने की कोशिश की जाए।

इस्लाम ने ईमान वालों को पाक और हलाल रोजी अपनाने तथा हराम और गंदी कमाई से बचने का आदेश दिया है। साथ ही शुब्हे (संदेह) वाली चीजों से भी बचने की शिक्षा दी है। हलाल रोजी इंसान को हराम से बेनियाज कर देती है।

अल्लाह तआला फरमाता हैः

ऐ ईमान वालो! जो पाक रोजी हमने तुम्हें दी है, उसमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, यदि तुम उसी की इबादत करते हो। (सूरह अल-बकरहः १७२) हजरत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

ऐ लोगो! अल्लाह पाक है और केवल पाक चीज ही स्वीकार करता है। अल्लाह ने मोमिनों को वही आदेश दिया है जो रसूलों को दिया था। फिर आपने उस व्यक्ति का उल्लेख किया जो लंबा सफर करता है, बिखरे बाल और धूल से अटा हुआ है, दोनों हाथ उठाकर कहता है ऐ मेरे रब! ऐ मेरे रब! जबकि उसका खाना हराम का, पीना हराम का, पहनावा हराम का और उसकी परवरिश हराम से हुई है। तो उसकी दुआ कैसे स्वीकार होगी? (सहीह मुस्लिम)

और सहीह बुखारी व मुस्लिम में हजरत नोमान बिन बशीर (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

हलाल स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है। इनके बीच कुछ संदेहास्पद चीजें हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। जो उनसे बच गया, उसने अपने दीन और सम्मान की रक्षा कर ली। और जो उनमें पड़ गया, वह हराम में पड़ गया जान लो! शरीर में एक टुकड़ा (दिल) है यदि वह सही रहा तो पूरा शरीर सही रहेगा और यदि वह बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। सुन लो! वह दिल है।

३. कियामत की जवाबदेही और अजाब का डर

हर इंसान को यह याद रखना चाहिए कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने हिसाब-किताब के लिए खड़ा होना है। उस दिन जालिम से मजलूम का बदला दिलाया जाएगा।

हजरत अबू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो, उसे चाहिए कि दुनिया ही में उससे माफी माँग ले। क्योंकि आखिरत में न दिरहम होंगे और न दीनार। यदि उसके पास नेकियाँ होंगी तो उतनी नेकियाँ मजलूम को दे दी जाएँगी, और यदि नेकियाँ न होंगी तो मजलूम के गुनाह उस पर डाल दिए जाएँगे। (सहीह बुख़ारी)

एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्या तुम जानते हो कि मुफ़लिस (कंगाल) कौन है?

सहाबा ने कहा हमारे यहाँ मुफलिस वह है जिसके पास धन-संपत्ति न हो।

आप ने फरमायाः

मेरी उम्मत का असली मुफ़लिस वह है जो कियामत के दिन नमाज, रोजा और जकात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा आरोप लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा होगा। उसकी नेकियाँ इन सब में बाँट दी जाएँगी। यदि नेकियाँ समाप्त हो जाएँगी तो उनके

शेष पृष्ठ ११ पर

बीमार दिलों का इलाज

लेखकः अबू उसामा नियाज अंसारी

इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्लाह तआला ने इंसान को समस्त प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर और उत्तम स्वरूप प्रदान किया है। अल्लाह तआला फरमाता हैः

ऐ इंसान! तुझे अपने उदार पालनहार के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल दिया? उसी ने तुझे पैदा किया, फिर तुझे ठीक-ठाक बनाया, संतुलित किया और जिस रूप में चाहा तुझे संयोजित कर दिया। (सूरह अल-इन्फितार ८२ ६-८)

इस आयत की व्याख्या करते हुए इस्लामी विद्वान लिखते हैं कि है इंसान! तुझे किस बात ने धोखे में डाल दिया कि तूने अपने उस पालनहार का इनकार किया जिसने तुझ पर अनगिनत उपकार किए, तुझे अस्तित्व दिया, बुद्धि और समझ प्रदान की, जीवन की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराईं और तुझे एक तुच्छ वीर्य-बिंदु से पैदा किया, जबकि पहले तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसने तुझे एक पूर्ण मानव बनाया, सुनने, देखने और समझने की शक्ति दी, तुझे सुंदर रूप दिया, तेरी आँखें, कान और हाथ-पैर संतुलित बनाए। यदि यह संतुलन न होता तो तू एक असहाय मनुष्य होता। अल्लाह ने शरीर के प्रत्येक अंग को अलग-अलग कार्य सौंपा है। यदि कोई अंग खराब हो जाए तो मनुष्य उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है। हाथ खराब हो जाए तो उठाने में, आँख खराब हो जाए तो देखने में, कान खराब हो जाए तो सुनने में कठिनाई होती है। लेकिन यदि दिल ही खराब हो जाए तो मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है और उसका जीवन अत्यंत कठिन बन जाता है।

यदि इंसान का दिल पापों और बुराइयों के कारण बीमार हो जाए, जबकि अल्लाह ने उसे अपनी पहचान, प्रेम और इबादत के लिए बनाया है, तो वह अल्लाह की पहचान, उसकी मोहब्बत और उसकी बंदगी से बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि दिल ही शरीर के सभी अंगों का सरदार है और उसी से सत्य और असत्य की पहचान होती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

सुनो! शरीर में एक मांस का टुकड़ा है। यदि वह सही हो जाए तो पूरा शरीर सही हो जाता है, और यदि वह बिगड़ जाए तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। सुन लो, वह दिल है।

इस हदीस से स्पष्ट होता है कि हमारे कर्मों की शुद्धता दिल की शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि दिल बीमार हो जाए तो अच्छे कर्म भी अपना प्रभाव खो देते हैं। इसलिए सबसे उत्तम दिल वही है जिसे कल्बे

सलीम (निर्मल हृदय) कहा गया है। अल्लाह तआला फरमाता हैः

जिस दिन न धन काम आएगा और न संतान, बल्कि वही सफल होगा जो अल्लाह के पास निर्मल हृदय लेकर आएगा। (सूरह अश-शुअरा २६,८८-८९)

दिल की भी अनेक अवस्थाएँ होती हैं। एक वह दिल है जिसे कल्बे सलीम कहा जाता है। यह दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र से ताजा और जीवंत रहता है। अल्लाह तआला फरमाता हैः जो लोग ईमान लाए, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। याद रखो! अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। (सूरह अर-रअद १३-२८)

अल्लाह के जिक्र का अर्थ केवल उसका नाम लेना नहीं, बल्कि उसकी इबादत करना, उसकी एकता (तौहीद) को स्वीकार करना और उसके आदेशों का पालन करना भी है। यही मोमिन के दिल की वास्तविक खुराक है। यह एक सिद्धांत है कि हर चीज को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। यदि उसे उसका भोजन मिलता रहे तो वह जीवित रहती है, अन्यथा सूखकर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार यदि दिल को उसकी आध यात्मिक खुराक न मिले तो वह भी मृतप्राय हो जाता है।

दिल की खुराक नेक और सदाचारी लोगों की संगति, उनकी सभाओं में बैठने, अच्छी और लाभदायक बातें सुनने तथा अल्लाह की बनाई हुई सृष्टि में चिंतन करने से प्राप्त होती है। अल्लाह तआला ने अपनी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु में अपनी महान शक्ति और बुद्धिमत्ता की निशानियाँ रखी हैं। कुरआन में अल्लाह फरमाता हैः निश्चय ही आकाशों और धरती की रचना में, रात और दिन के बदलने में, उन जहाजों में जो लोगों के लाभ के लिए समुद्र में चलते हैं, आकाश से वर्षा उतारकर मृत धरती को जीवित करने में, उसमें हर प्रकार के जीवों को फैला देने में, हवाओं के बदलते रुख में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच अधीन किए गए हैं समझ रखने वालों के लिए अल्लाह की शक्ति की बहुत-सी निशानियाँ हैं। (सूरह अल-बकरह २-१६४)

पृष्ठ ६ का

गुनाह उस पर डाल दिए जाएँगे, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। (सहीह मुस्लिम)

ऐ अल्लाह के बंदो!

अल्लाह से डरो। हराम को छोड़कर हलाल पर संतोष करो। जुल्म, अत्याचार और अन्य सभी गुनाहों से तौबा करो। जिस प्रकार अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतों और एहसानों की वर्षा की है, उसी प्रकार तुम भी लोगों के साथ भलाई और आसानी का व्यवहार करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी माँगो।

हजरत नूह (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहाः

अपने रब से माफी माँगो, निस्संदेह वह बहुत बड़ा क्षमाशील है। वह तुम पर खूब वर्षा करेगा, तुम्हें धन और संतान से सहायता देगा, तुम्हारे लिए बाग लगाएगा और नहरें बहा देगा। (सूरह नूहः १० १२)

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला फरमाता हैः

ऐ ईमान वालो! तुम सब मिलकर अल्लाह की ओर तौबा करो, ताकि तुम सफल हो जाओ। (सूरह अन-नूरः ३१)

किसी के घर में झाँकना हराम है

रफीउल्लाह मसऊद तैमी

हजरत सहल बिन सअ्द साइदी (रजियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि एक व्यक्ति ने रसूलुल्लाह के घर के दरवाजे की झिरी (छेद) से झाँका। उस समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हाथ में काँटेदार लकड़ी कंघी जैसी वस्तु थी, जिससे आप अपना सिर खुजा रहे थे। जब आपकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी तो आपने फरमायाः

अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं इसी से तुम्हारी आँख फोड़ देता।

फिर रसूलुल्लाह ने फरमायाः

इजाजत (अंदर आने की अनुमति) इसलिए रखी गई है कि नजर (दूसरों की निजता) सुरक्षित रहे।

व्याख्याः

इस हदीस में रसूलुल्लाह ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक शिक्षा दी है। किसी दूसरे के घर में बिना अनुमति झाँकना या प्रवेश करना इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों की निजता, सम्मान और पारिवारिक जीवन की सुरक्षा करना है।

इस्लाम चाहता है कि हर व्यक्ति अपनी नजर की हिफाजत करे। नजर की पवित्रता में व्यक्ति और समाज दोनों की भलाई छिपी हुई है।

इसी कारण कुरआन मजीद में अल्लाह तआला फरमाता हैः

'ऐ ईमान वालो! अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रवेश न करो, जब तक अनुमति न ले लो और वहाँ रहने वालों को सलाम न कर लो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो। (सूरह अन-नूरः २७)

जब तक घर के अंदर रहने वाले अनुमति न दें, तब तक घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

केवल झाँकने से ही नहीं रोका गया, बल्कि यह भी शिक्षा दी गई कि जब कोई किसी के घर जाए तो दरवाजे के ठीक सामने खड़ा न हो, बल्कि एक ओर हटकर खड़ा हो, ताकि अंदर का दृश्य उसकी नजर में न आए।

इस शिक्षा में अनेक लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंसान नजर के गुनाहों से बच जाता है और दूसरों की निजी बातों या वस्तुओं को देखने से सुरक्षित रहता है। यदि कोई ऐसी चीज देख ले, जिसे नहीं देखना चाहिए था, तो संभव है कि वह आगे चलकर उसका उल्लेख दूसरों से करे, जिससे विवाद, बदगुमानी और सामाजिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

हदीस में नबी ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी के घर में झाँके और घर वालों को इसका पता चल जाए, तो यदि वे उसकी आँख को नुकसान पहुँचा दें, तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के शब्द

“अगर मुझे मालूम होता कि तुम झाँक रहे हो, तो मैं तुम्हारी आँख में यह चीज चुभो देता।”

इसी बात की ओर संकेत करते हैं।

सहीह मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

'जो व्यक्ति किसी के घर में बिना अनुमति झाँके, तो घर वालों के लिए उसकी आँख फोड़ देना जायज है।

सहीह मुस्लिम की दूसरी रिवायत में हैः

यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में तुम्हारी अनुमति के बिना झाँके और तुम उस पर कंकरी मारो, जिससे उसकी आँख फूट जाए, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है।

इन हदीसों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि दूसरे के घर में बिना अनुमति झाँकना और बिना इजाजत प्रवेश करना हराम है।

अनुमति लेने और झाँकने से रोकने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि समाज में लोगों की इज़्ज़त, विश्वास और निजता सुरक्षित रहती है। इससे किसी पर चोरी, जासूसी या अन्य प्रकार के आरोप लगने की संभावना भी कम हो जाती है। ऐसी आदतें अपनाने वाला व्यक्ति समाज में विश्वसनीय और सम्मानित माना जाता है।

अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बिना अनुमति दूसरों के घरों में प्रवेश कर जाते हैं। घर वाले सामने कुछ न कह सकें, फिर भी मन ही मन उन्हें बुरा लगता है और उनके प्रति नाराजगी पैदा हो जाती है।

इसलिए प्रत्येक मुसलमान को चाहिए कि वह वही काम करे, जिसकी शिक्षा शरीअत देती है, ताकि उसका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो और समाज में शांति, विश्वास तथा सद्भाव बना रहे।

अल्लाह तआला हमें और सभी ईमान वालों को इन शिक्षाओं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।

आमीन या रब्बुल आलमीन।

❑❑❑

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम........................
पिता का नाम...............
स्थान........................
पोस्ट आफिस...............
वाया........................
तहसील......................
जिला........................
पिन कोड..................
राज्य का नाम..............
मोबाइन नम्बर..............

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताः**अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

गर्मी और जहन्नम का अजाब

अबू मुआविया शारिब सलफी

१. गर्मी क्यों लगती है?

हजरत अबू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रहमतुललि आलमीन हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की कि, मेरे रब! मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। तब अल्लाह तआला ने उसे साल में दो बार सांस लेने की अनुमति दी एक सांस सर्दियों में और एक सांस गर्मियों में।

फिर आप ने फरमायाः

गर्मियों में जो सबसे ज़ूयादा गर्मी तुम महसूस करते हो, वह जहन्नम की उसी सांस की वजह से है, और सर्दियों में जो सबसे ज़ूयादा ठंड महसूस करते हो, वह भी उसी जहन्नम की सांस की वजह से है। (सहीह बुखारीः ३२६०)

२. दुनिया और आखिरत में सूरज की दूरी तथा लोगों की हालत

हजरत मिकदाद बिन असवद (रजियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मैंने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुनाः

कियामत के दिन सूरज को मखलूक के बहुत करीब कर दिया जाएगा।

सहाबा ने पूछा कितना करीब?

आप ने फरमायाः

यहाँ तक कि वह उनसे सिर्फ एक मील की दूरी पर रह जाएगा।

रावी हदीस हजरत सुलैम बिन आमिर कहते हैंः

अल्लाह की कसम! मुझे मालूम नहीं कि मील से जमीन की दूरी वाला मील मुराद है वह सुरमा लगाने की सलाई।

फिर आप ने फरमायाः

उस दिन लोग अपने-अपने आमाल (कर्मों) के अनुसार पसीने में डूबे होंगे।

कुछ लोगों का पसीना केवल टखनों तक होगा।

कुछ का घुटनों तक होगा।

कुछ का कमर तक होगा।

और कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह उनके मुँह तक पहुँच जाएगा। (सहीह मुस्लिमः २८६४)

यानी कियामत के दिन लोगों की हालत उनके कर्मों के अनुसार अलग-अलग होगी। कुछ लोग हल्के पसीने में होंगे, जबकि कुछ अपने ही पसीने में मुँह तक डूबे होंगे।

आगे एक दूसरी हदीस में हजरत अबू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्हु) से भी इसी विषय में वर्णन मिलता है।

आप ने फरमायाः

कियामत के दिन लोग इतने पसीने में डूब जाएंगे कि उनका पसीना जमीन में सत्तर हाथ तक उतर जाएगा और फिर इतना बढ़ जाएगा कि उनके मुँह तक पहुँचकर कानों को छूने लगेगा। (सहीह बुखारीः ६५३२, सहीह मुस्लिमः २८६३)

एक दूसरी हदीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु

अन्हु) बयान करते हैं कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। (सूरह अल-मुतफ्फिफीनः ६)

उस दिन कुछ लोग अपने पसीने में इस तरह डूब जाएंगे कि पसीना उनके कानों के बीच तक पहुँच जाएगा। (सहीह बुखारीः ४६३८, सहीह मुस्लिमः २८६२)

आज जब हमें धूप और गर्मी की शिद्दत महसूस होती है तो हम ए.सी., कूलर या कम से कम पंखे के नीचे बैठकर राहत पा लेते हैं। लेकिन सोचिए, उस दिन जब यह भयानक गर्मी होगी, तब हम कहाँ जाएंगे? उस दिन सूरज केवल एक मील की दूरी पर सिर के बिल्कुल ऊपर होगा। वहाँ न ए.सी. होगा, न कूलर, न पंखा और न ही आराम पहुँचाने वाला कोई साधन।

हजरत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुनाः

कियामत के दिन लोगों को नंगे पाँव, निर्वस्त्र और बिना खतना उठाया जाएगा।

मैंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल! क्या उस समय औरतें और मर्द एक-दूसरे को निर्वस्त्र देखेंगे?

आप ने फरमायाः

ऐ आयशा! उस दिन का मामला इतना कठिन होगा कि किसी के मन में एक-दूसरे की ओर देखने का खयाल भी नहीं आएगा। (सहीह मुस्लिमः २८५६, सहीह बुखारीः ६५२७)

मैदान-ए-महशर का दृष्य इतना भयावह और कठिन होगा कि लोगों को केवल अपनी ही चिंता होगी। न शरीर पर कोई वस्त्र होगा, न पैरों में जूते-चप्पल। न ठंडी हवा चलेगी और न मौसम बदलने की कोई संभावना होगी।

कुरआन करीम इस भयावह स्थिति का वर्णन करते हुए फरमाता हैः उस दिन इंसान कहेगा आज भागने की जगह कहाँ है? हरगिज नहीं! कोई पनाहगाह नहीं होगी। (सूरह अल-कियामहः १०-११)

३-जहन्नम की आग कैसी है?

जहन्नम की गर्मी इस दुनिया की आग से ६९ गुना अधिक है। जैसा कि समस्त मानवता के उपकारी, रहमतुललिल आलमीन हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

तुम्हारी यह दुनिया की आग, जिसे इंसान जलाता है, जहन्नम की आग की गर्मी का सत्तरहवाँ हिस्सा है।

सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की कध्सम, लोगों को जलाने के लिए तो दुनिया की यही आग ही काफी थी।

इस पर आप ﷺ ने फरमायाः

जहन्नम की आग दुनिया की आग से उनहत्तर (६९) गुना अधिक गर्म है, और उसका हर हिस्सा दुनिया की आग के बराबर गर्म है। (सहीह मुस्लिम रू २८४३)

इसी प्रकार हजरत अबू हुरैरा (रजि.) फरमाते हैंः

क्या तुम जहन्नम की आग को अपनी इस दुनिया की आग की तरह लाल समझते हो? वह तो तारकोल (कोलतार) से भी अधिक काली है। (मुवत्ता इमाम मालिक)

अल्लाह की पनाह!

ऐ हमारे पालनहार! हमें और सभी मुसलमानों को जहन्नम की आग से सुरक्षित रख। आमीन।

४- जहन्नम क्या है? और जहन्नम में लोगों का शरीर कैसा होगा?

अल्लाह तआला ने फरमायाः

वह अल्लाह की भड़काई हुई आग है, जो दिलों तक पहुँच जाएगी। (सूरह अल-हुमजह ६-७)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फरमायाः

वह अत्यन्त प्रचंड और भड़कती हुई आग है। (सूरह अल-कारिअह :११)

और एक तीसरी जगह फरमायाः

निश्चय ही वह भड़कती हुई ज्वाला है, जो सिर और चेहरे की खाल तक उधेड़ डालेगी। (सूरह अल-मआरिजः १५-१६)

जहन्नम में इंसान को ऐसा महसूस होगा कि अब मौत आ जाएगी, लेकिन अफसोस! वहाँ मौत नहीं होगी। वहाँ तो मानो मौत को ही मौत आ चुकी होगी।

अल्लाह तआला फरमाता हैः

हर तरफ से उसे मौत आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वह मरेगा नहीं। (सूरह इब्राहीमः १७)

और फरमायाः

फिर न वह उसमें मरेगा और न ही जी सकेगा। (सूरह अल-आला रू १३)

जहन्नम में जब भी किसी व्यक्ति की खाल जल जाएगी, अल्लाह तआला उसकी जगह नई खाल पैदा कर देगा, ताकि वह लगातार अजाब का स्वाद चखता रहे।

अल्लाह तआला का फरमान हैः

जब उनकी खालें पूरी तरह जल जाएँगी, तो हम उनकी जगह दूसरी खालें बदल देंगे, ताकि वे अजाब का स्वाद चखते रहें। (सूरह अन-निसाः ५६)

केवल इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह तआला जहन्नमियों के शरीर, चमड़ी और खाल को बहुत बड़ा और मोटा भी कर देगा, जैसा कि हजरत मुहम्मद ने फरमायाः

जहन्नम में काफिर की खाल की मोटाई बयालीस हाथ होगी, जो लगभग ६३ फुट के बराबर है। और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उसका एक दाँत उहुद पर्वत के बराबर होगा।

और फरमायाः जहन्नम में उसके बैठने की जगह मक्का और मदीना के बीच की दूरी के बराबर होगी। (तिर्मिजीः २५७७)

५- जहन्नम में किस प्रकार के अजाब होंगे?

जहन्नम में तरह-तरह के अजाब और सजाएँ होंगी। जहन्नमियों की हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा इस हदीस से लगाया जा सकता है। नबी ने फरमाया निस्संदेह जहन्नमी इतने रोएँगे कि यदि उनके आँसुओं में नावें चलाई जाएँ, तो वे चलने लगेंगी।

फिर फरमायाः इसके बाद उनके आँसू समाप्त हो जाएँगे और उनकी आँखों से आँसुओं की जगह खून बहेगा।(अस-सिलसिलह अस-सहीहाः १६७६)

कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने जहन्नम के अजाब को विभिन्न शब्दों में बयान फरमाया है। कहीं फरमायाः

“बहुत बड़ा अजाब”

''अत्यंत दर्दनाक अजाब''

''अपमानित करने वाला अजाब।''

''अत्यंत कठोर अजाब''

''स्थायी और निरंतर रहने वाला अजाब।''

''बेहद सख़्त अजाब।''

अल्लाह तआला ने हमें सावधान करते हुए बता दिया है कि जहन्नम में

जलाने वाली आग का अजाब होगा। वहाँ बिछौना भी आग का होगा और ओढ़ना भी आग का होगा। जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है उनके लिए जहन्नम में आग का बिछौना होगा और उनके ऊपर भी आग की चादर होगी। (सूरह अल-आराफः ४१)

उनके कपड़े भी आग के होंगे। अल्लाह तआला फरमाता हैः

जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके लिए आग के वस्त्र काटे जाएँगे और उनके सिरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा।

जिससे उनके पेट की सारी चीजें और उनकी खालें पिघल जाएँगी।

और उन्हें मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे।

जब भी वे दुख और पीड़ा के कारण जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगाः अब जलने का अजाब चखो। (सूरह अल-हज्जः १९२२)

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला फरमाता है उनके वस्त्र गंधक (तारकोल) के होंगे और आग उनके चेहरों को ढाँप लेगी।

❑❑❑

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

इस्लाम में शिक्षा और प्रशिक्षण के शिष्टाचार और शिक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

मौलाना आसिफ तनवीर तैमी

इस्लाम में शिक्षा और प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसलिए शिक्षक (उस्ताद) और विद्यार्थी (तालीब-ए-इल्म) दोनों के लिए ऐसे आदाब निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करने से शिक्षा अधिक प्रभावी, लाभदायक और बरकत वाली बन जाती है।

शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह अपने शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्योंकि चिंतित, बीमार या अत्यधिक थका हुआ शिक्षक अपना संदेश प्रभावी ढंग से नहीं पहुँचा सकता। उसे चाहिए कि वह विद्यार्थियों के साथ हमेशा नरमी, प्रेम और करुणा का व्यवहार करे। कठोरता, दुर्व्यवहार और क्रोध से बचे। मुस्कुराकर उनका स्वागत करे, सलाम करने में पहल करे तथा सम्मान और आदर के साथ उनका हौसला बढ़ाए।

इसी प्रकार विद्यार्थी की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने शिक्षक का सम्मान करे, कक्षा में शालीनता से बैठे, शिक्षक की ओर पूरा ध्यान रखे, उसकी बात ध्यानपूर्वक सुने और इतनी एकाग्रता से पाठ ग्रहण करे कि उसे बार-बार दोहराने की आवश्यकता न पड़े।

एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के बीच प्रेम, भाईचारे और पारस्परिक सहयोग का वातावरण बनाता है। वह उनके दिलों से ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता के कारणों को दूर करता है तथा उनमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना विकसित करने का प्रयास करता है।

शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की प्रत्येक अच्छी क्षमता को उभारे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर प्रदान करे, उनकी सफलता पर उनका उत्साहवर्धन करे तथा उनकी प्रशंसा करने में कंजूसी न करे, क्योंकि समय पर की गई प्रशंसा और प्रोत्साहन विद्यार्थी के आत्मविश्वास और प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है।

शिक्षण के दौरान न तो अनावश्यक रूप से अधिक समय लिया जाए और न ही इतना संक्षिप्त पढ़ाया जाए कि उद्देश्य ही पूरा न हो सके। बल्कि हमेशा विद्यार्थियों के हित और उनके शैक्षिक लाभ को ध्यान में रखा जाए।

पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक की तैयारी

शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ पढ़ाने से पहले स्वयं को हर दृष्टि से तैयार करे। उसकी नीयत केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए हो तथा उसका उद्देश्य ज्ञान का प्रसार और विद्यार्थियों की सही शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो।

शारीरिक रूप से भी वह स्वयं को शिक्षण के लिए तैयार रखे। भूख, प्यास, अत्यधिक थकान, नींद या मानसिक तनाव की स्थिति में पढ़ाने से बचे, क्योंकि ऐसी अवस्था उसकी

सोच, ध्यान और एकाग्रता को प्रभावित करती है।

कक्षा में आने से पहले उचित अनुशासन की व्यवस्था करे, विद्यार्थियों को सही ढंग से बैठाए और ऐसा वातावरण बनाए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी पूरे ध्यान के साथ पाठ सुन सके।

इसी प्रकार वह पढ़ाने के लिए उचित समय निर्धारित करे। समय इतना लंबा न हो कि विद्यार्थी ऊब जाएँ और न इतना छोटा कि आवश्यक जानकारी अधूरी रह जाए। हर स्थिति में विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी जाए।

पढ़ाने से पहले शिक्षक अपने विषय का अच्छी तरह अध्ययन करे, उसके सभी पहलुओं पर पूर्ण अधिकार रखे और केवल वही बात बताए जिसके बारे में उसे पूरा विश्वास और सही ज्ञान हो। जिस विषय की सही जानकारी न हो, उसके बारे में बोलने से बचना चाहिए।

शिक्षक को विद्यार्थियों की धार्मिक तथा बौद्धिक क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। वह ऐसा पाठ चुने जो उनकी समझ के अनुकूल हो तथा पहले से यह सोच ले कि किन स्थानों पर उदाहरण, व्याख्या या शिक्षण-सामग्री की आवश्यकता होगी, ताकि पाठ अधिक सरल और प्रभावशाली बन सके।

इसी प्रकार शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के साथ समान रूप से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में आए तो प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत करे, उसका सम्मान करे, उसके हालचाल पूछे और प्रेमपूर्वक उससे बातचीत करे।

शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह सभी विद्यार्थियों के बीच न्याय करे। प्रेम, ध्यान और सद्व्यवहार में किसी एक को दूसरे पर प्राथमिकता न दे, क्योंकि इससे अन्य विद्यार्थियों के मन में ईर्ष्या, दुःख और वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। पढ़ाते समय भी सभी की ओर समान रूप से ध्यान दे।

शिक्षक को अपने व्यक्तित्व और पहनावे का भी ध्यान रखना चाहिए। जब वह कक्षा में आए तो स्वच्छ, सुसज्जित और गरिमामय रूप में आए। उसका उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि ज्ञान के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखना होना चाहिए।

शिक्षक की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह भी है कि वह विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह पैदा करे, उनका मनोबल बढ़ाए, उन्हें ईमानदारी और निष्ठा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे तथा उन्हें यह बताए कि ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अल्लाह तआला ने महान प्रतिफल और उच्च दर्जे तैयार कर रखे हैं।

इसी प्रकार बेहतर यह है कि शिक्षक प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु या शीर्षक की व्याख्या के बाद कुछ समय का विराम दे, ताकि विद्यार्थी उस पर विचार कर सकें, प्रश्न पूछ सकें और यदि कोई बात समझ में न आई हो तो उसकी स्पष्टता प्राप्त कर सकें।

शिक्षक को अनावश्यक या फालतू बातचीत से बचना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का ध्यान भंग होता है। यदि पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा प्रश्न सामने आए जिसका संबंध वर्तमान विषय से न हो, तो उसका उत्तर किसी अन्य समय देना अधिक उचित होगा।

कक्षा का वातावरण सदैव शांत, गरिमापूर्ण और शैक्षणिक होना चाहिए। शोर-शराबा, ऊँची आवाज में झगड़ा, कठोर बहस या ऐसी कोई भी बातचीत जिससे असम्मान या किसी का दिल दुखे, उससे पूरी तरह बचना चाहिए।

इमाम इब्ने जमाअह रहमतुल्लाह अलैह के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत

इमाम इब्न जमाअह रहमतुल्लाह अलैह के अनुसार शिक्षण का कोई एक निश्चित तरीका निधारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक विषय, प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक कक्षा की परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। फिर भी कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका प्रत्येक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए ताकि शिक्षा अधिक प्रभावी और परिणामदायक बन सके।

सबसे पहले शिक्षक को अपनी आवाज पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ आवाज ऊँची करे और जहाँ उचित हो वहाँ नरम स्वर अपनाए। न आवाज इतनी धीमी हो कि विद्यार्थी सुन न सकें और न इतनी तेज कि उन्हें असहज लगे। बातचीत में ठहराव, संतुलन और गरिमा होनी चाहिए।

शिक्षण के दौरान शिक्षक निरंतर यह देखता रहे कि विद्यार्थी पाठ समझ रहे हैं या नहीं। इसके लिए समय-समय पर उनसे प्रश्न पूछे, उनसे पाठ दोहराने या किसी विषय की व्याख्या करने को कहे, ताकि यह पता चल सके कि पाठ उनके मन में अच्छी तरह बैठ गया है या और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

यदि कोई विद्यार्थी अपनी क्षमता का सही अनुमान न लगा सके और अपनी सामर्थ्य से अधिक बोझ उठाने का प्रयास करे, तो शिक्षक का कर्तव्य है कि वह प्रेम और सद्भावना के साथ उसका मार्गदर्शन करे, उसे संतुलित मार्ग अपनाने की सलाह दे तथा उसकी धार्मिक और शैक्षिक क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोझ कभी-कभी विद्यार्थी को निराशा और थकान का शिकार बना देता है।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

सफ़र १४४८ हिजरी का चाँद नज़र आ गया

दिल्ली, १५ जुलाई २०२६

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ मुहर्रमुल हराम १४४८ हिजरी अर्थात १५ जुलाई २०२६ बुधवार को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जुलहिज्जा के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक १६ जुलाई को जुमेरात २०२६ जुमेरात के दिन सफ़र की पहली तारीख होगी।

दहेज़ समाज के लिये हानिकारक इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत

अबू फरहान बलरामपूरी

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''और उसकी निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके पास सुकून प्राप्त करो, और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रख दी। निश्चय ही इसमें सोच-विचार करने वालों के लिए बहुत-सी निशानियाँ हैं।'' (सूरह अर-रूम २१)

इस्लाम जैसे पवित्र और स्वच्छ धर्म में दहेज समाज के लिए सबसे अधिक हानिकारक बुराइयों में से एक है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज भारत के वातावरण में मुसलमानों के बीच दहेज की प्रथा बहुत तेजी से फैल चुकी है। चाहे कोई खुलकर दहेज की माँग करे या इशारों-किनायों में, लेकिन लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस बड़े अपराध में शामिल दिखाई देता है।

जब हम अपने समाज की इस घृणित और निंदनीय प्रथा पर नजर डालते हैं तो हर वर्ग का व्यक्ति इसमें लिप्त दिखाई देता है। चाहे वह किसी प्रतिष्ठित परिवार से हो या किसी बड़े पद पर आसीन हो, अधिकांश लोगों के दिल में दहेज प्राप्त करने की इच्छा छिपी रहती है। कुछ निर्लज्ज लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि यदि मुझे इतनी नकद राशि और अमुक-अमुक सामान दहेज में मिलेगा तभी मैं यह रिश्ता स्वीकार करूँगा, अन्यथा नहीं।

मुसलमानो! हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के निकाह का वह प्रसिद्ध वाकया याद करो। जब वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने उनके कपड़ों पर जर्दी का निशान देखकर पूछा, ऐ अब्दुर्रहमान! यह जर्दी कैसी है? क्या तुमने विवाह कर लिया है? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने विवाह कर लिया है।

उस समय अल्लाह के रसूल ने यह नहीं पूछा कि तुम्हें दहेज में क्या मिला, बल्कि तुरंत फरमाया, वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही क्यों न हो। इससे स्पष्ट होता है कि वलीमा सुन्नते रसूल है और विवाह के बाद उसका विशेष महत्व है।

लेकिन आज के वे लोग, जो स्वयं को आशिके रसूल और फिदाई-ए-रसूल कहते हैं, उनका हाल देखिए। यदि वे किसी की शादी में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही करते हैं कितना नकद मिला? क्या-क्या सामान मिला? लड़की सुंदर है या नहीं? यदि दूल्हे को अधिक दहेज मिला हो तो वह गर्व से बताता है कि मुझे अमुक सामान मिला, फ्लैट मिला, गाड़ी मिली आदि। लेकिन यदि कम मिला हो तो शर्म के कारण उसकी नजरें झुक जाती हैं और वह

स्वयं को छोटा समझने लगता है। वह सोचता है कि काश! मुझे भी अच्छा-खासा दहेज मिला होता ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने गर्व से बता सकता।

यह सोच उसी युवक की होती है जो अपनी मेहनत और कमाई पर भरोसा करने के बजाय दूसरों के सहारे जीना चाहता है। वह स्वयं मेहनत करके संपत्ति अर्जित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हराम और अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है।

मुसलमानो! आखिर कब तक हम दहेज की माँग करते रहेंगे? कब तक दूसरों के दिए हुए धन पर घमंड करते रहेंगे? कब तक हमारी बहनें और बेटियाँ दहेज के कारण अपमानित होती रहेंगी? कब तक वे आत्महत्या करने पर मजबूर होती रहेंगी? कब तक उनके सपने टूटते रहेंगे? कब तक उन पर अत्याचार होता रहेगा? कब तक उनकी आँखों से आँसू बहते रहेंगे? आखिर इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए।

मुसलमानो! उठो, जागो और सोई हुई इंसानियत को जगाओ। लोगों को बताओ कि सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी माँ, बहन और बेटी की इज़्ज़त की तरह दूसरों की माँ, बहन और बेटी की इज़्ज़त भी करता है। मुसलमान वही है जो विधवाओं, यतीमों, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है। मुसलमान वही है जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाता है ताकि किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचे।

यही मुसलमान का वास्तविक चरित्र है। मुसलमान न तो भिखारी होता है, न दहेज का लालची होता है और न ही दहेज की माँग करता है। यदि यही मुसलमान की पहचान है, तो फिर हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अब अपने समाज, अपने गाँव, अपने शहर और अपनी बस्ती से इस घातक बीमारी दहेज का पूरी तरह उन्मूलन करना है। इसके लिए समाज के अच्छे लोगों के साथ मिलकर प्रयास करना होगा

मुसलमान कभी किसी की इज़्ज़त और आबरू पर डाका नहीं डालता, बल्कि जहाँ तक संभव हो, ऐसे अन्याय को रोकने का प्रयास करता है।

यही मुसलमान का वास्तविक चरित्र है। मुसलमान न तो भिखारी होता है, न दहेज का लालची होता है और न ही दहेज की माँग करता है। यदि यही मुसलमान की पहचान है, तो फिर हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अब अपने समाज, अपने गाँव, अपने शहर और अपनी बस्ती से इस घातक बीमारी दहेज का पूरी तरह उन्मूलन करना है। इसके लिए समाज के अच्छे लोगों के साथ मिलकर प्रयास करना होगा और दहेज की इस कुप्रथा का हमेशा के लिए अंत करना होगा।

तभी हमारी बहनें, बेटियाँ और विधवाएँ चैन और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगी। अन्यथा उन्हें हर दिन दहेज न लाने के ताने सुनने पड़ेंगे, और उसका दुखद परिणाम हमें रोज अखबारों में आत्महत्या और उत्पीड़न की खबरों के रूप में पढ़ने को मिलता रहेगा।

शादी में फुजूलखर्ची

मोहम्मद जुनैद

कुछ लोग शादी-विवाह में बहुत अधिक फुजूलखर्ची करते हैं, जबकि यह इस्लाम में नाजायज और हराम है। अल्लाह और उसके रसूल की नजर में फिजूलखर्ची कितनी नापसंद है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हजरत सअ्द बिन अबी वकास (रजि०) के पास से गुजरे। वे वुजू कर रहे थे और आवश्यकता से अधिक पानी खर्च कर रहे थे। आप ने फरमाया, ऐ सअ्द! यह कैसी फिजूलखर्ची है? उन्होंने पूछा, क्या वुजू में भी फिजूलखर्ची होती है? आप ने फरमाया, हाँ, चाहे तुम बहती हुई नदी के किनारे ही वुजू कर रहे हो। (मुस्नद अहमद, इब्ने माजा) इससे स्पष्ट होता है कि शरीअत की नजर में आवश्यकता से अधिक खर्च करना, चाहे वह ध ाार्मिक कार्य में हो या दुनियावी कार्य में, फुजूलखर्ची है। शादी में बारात के स्वागत के लिए घर की भव्य सजावट करना, तरह-तरह के व्यंजन बनाना और दिखावे पर अत्यधिक धन खर्च करना कोई धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि दुनियावी काम है। जब धार्मिक कार्यों में भी आवश्यकता से अधिक खर्च करना फुजूलखर्ची है, तो दुनियावी कामों में यह और भी अधिक निंदनीय है।

इसके बावजूद लोग अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करके बेटियों की शादी करते हैं और सादगीपूर्ण विवाह को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जबकि सहाबा-ए-किराम (रज़ियल्लाहो अन्हो) के विवाह इतने सादे होते थे कि कई बार आसपास के लोगों को भी इसकी खबर नहीं होती थी।

हजरत अनस (रज़ियल्लाहो अन्हो) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ (रज़ियल्लाहो अन्हो) को देखा, जिनके कपड़ों पर जाफरान का निशान था। आपने फरमाया, यह क्या है? उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक महिला से निकाह किया है। आपने पूछा, तुमने उसे कितना महर दिया? उन्होंने कहा, सोने की एक नवात (गुठली) के बराबर। तब आपने फरमाया, वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही क्यों न हो। (सुनन अबू दाऊद, किताबुन्निकाह) इससे मालूम हुआ कि शादी में सादगी अपनाना इस्लाम के बिल्कुल अनुरूप है, जबकि सादगी को अपमान या प्रतिष्ठा में कमी समझना इस्लामी शिक्षा के विरुद्ध है। आज कुछ लोग कहते हैं कि यदि उन्होंने अपनी बेटी की शादी सादगी से कर दी तो लोग ताना देंगे और समाज में उनकी बदनामी होगी। इसी डर से वे या तो कर्जदार बन जाते हैं, या सूद पर कर्ज लेते हैं, या अपनी संपत्ति बेचकर समाज में झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रचलित रस्मों और दिखावे को पूरा करते हैं। यह सोच अत्यंत दुखद है। अल्लाह तआला ने विरासत में बेटी का निश्चित हिस्सा निर्धारित किया है और उसे खुशी-खुशी अदा करने का आदेश दिया है। यह अल्लाह द्वारा निर्धारित अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति बेटी को थोड़ा-बहुत सामान देकर उसके विरासत के अधिकार से वंचित करने की कोशिश करता है, तो यह अल्लाह के आदेश की अवज्ञा और उसकी शरीअत के विरुद्ध है।।

❑❑❑

आतंकवाद के विरोध में

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का सामूहिक फ़तवा

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की तरफ से आतंकवाद के विरोध में महान ओलमा और लगभग एक दर्जन मदर्सों के हस्ताक्षर से यह फतवा जारी किया जा रहा है।

प्रश्नः इस वक्त आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया में हंगामा है। वैश्विक मीडिया से लेकर नेश्नल मीडिया तक हर जगह आतंकवाद की चीख सुनाई देती है और देखने में इसके कई रूप हैं। धमाके, विनाशकारी, अपहरण, कत्ल आत्मघाती हमले, बसों और हवाई जहाजों को हाईजेक करना और उसे तबाह करना आदि। इस आतंकवाद के कारण जान माल सरकारी और प्राइवेट सम्पदाओं को नुक्सान पहुंचता है। जनहित के अनेक प्रतिष्ठान तबाह होते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस्लामी ओलमा और मुफ्ती इन सब चीजों के बारे में क्या राय रखते हैं कृप्या हमें यह बतायें कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में जगह मिल सकती है। इस्लामी कानून की दृष्टि से असमाजिक कार्रवाइयों की क्या हैसियत है और इन्हें शरीअत किस नजर से देखती है?

उत्तरः धमाके , अपहरण, हत्या, आत्मघाती हमले, हवाई जहाजों और बसों को हाईजेक करके यात्रियों सहित तबाह करना और निर्दोष लोगों को जान से मारना आदि इन सब कामों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामी कानून में यह सब काम बिल्कुल हराम हैं। इन्हें कोई भी नाम दिया जाये और इनके पीछे कोई भी सबब बयान किया जाये यह सब काम हर हाल में हराम और गलत हैं। यह काम चाहे कोई मुसलमान करे या गैर मुस्लिम, चाहे आतंकवाद किसी मुस्लिम मुल्क में हो या किसी गैर मुस्लिम मुल्क में, हर हाल में हराम है।

हकीकत यह है कि जब कोई धमाका होता है या कोई विनाशकारी कार्रवाई होती है, अपहरण या हत्या होती है, या आत्मघाती हमले होते हैं, किसी आम सवारी या जहाज की हाई जेकिंग होती है तो लोगों के जान माल इज्जत और धर्म और विश्वास खतरे में पड़ जाते हैं। शान्ति तहस नहस हो जाती है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जन सम्पदा (पब्लिक प्रापर्टी) तबाह होती है। इंसान भावुकता का शिकार हो जाता है और सारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का दामन छोड़ देता है जब कि इस्लाम इन सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है। अल्लाह तआला फरमाता है ‘‘इसी लिये बनी इस्राईल पर जो शरीअत नाजिल की उसमें हमने लिख दिया था कि जो कोई किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या बिना मुल्क में फसाद करने (की सज़ा) के मारता है वह गोया (हकीकत में) तमाम लोगों को कत्ल करता है जो लोग दंगा फसाद करके गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं उनकी सजा बस यही है कि कत्ल किये जायें या उनके हाथ पांव उल्टे सीधे काट दिये जायें या उनको देश से निकाल दिया जाये (यह सब सूरतें

हाकिम की राय के अनुसार हों) यह जिल्लत उन (फसादियों के लिये दुनिया में है और) अभी आखिरत में बड़ा अजाब (बाकी) है। सूरे माइदा-३२-३३

कुर्आन की इन दो आयतों से स्पष्ट है कि इस्लामी सजाओं का मकसद ही यह है कि इंसानों की जान माल इज्जत और धर्म व अक्ल तबाह न हो, उनको सुरक्षा मिले, जन शान्ति बाकी रहे, किसी आदमी या गुट को कानून को तोड़ने और मनमानी का अवसर न मिले, और जो विनाशकारी हरकत करें, उपद्रव फैलायें, हत्या करें उन्हें निश्चय सजा मिलनी चाहिये।

कुर्आन में अल्लाह तआला फरमाता हैः और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें तुझ को दुनिया में भली मालूम होती हैं और जो कुछ दिल में है उस पर अल्लाह को गवाह करता है, जब फिर जाता है तो जमीन में दौड़ धूप करता है कि उसमें फसाद फैलाये और खेतों को बर्बाद करे और चौपायों और नस्ल को मार दे। और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता है। (सूरे बकरा-२०४-२०५)

ऐसी मेहनत और प्रयास जो इंसान को तबाह कर दे, सम्पदा को नुक्सान पहुंचाये, जिससे शान्तिपूर्ण माहौल में उपद्रव फैल जाये, यह सब चीज अल्लाह को बिलकुल पसंद नहीं है इसको किसी भी तरह वैध (जायज) नहीं ठहराया जा सकता। जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते, नफरत और दुश्मनी उनकी सोच बन जाती है, इंतेकाम (प्रतिशोध) उनका लक्ष्य बन जाता है, इस्लाम और क़ानून की उन्हें कोई परवाह नहीं होती, ऐसे ही लोग जमीन में उपद्रव फैलाते हैं। इन सब अपराधिक कामों की कुर्आन ने निंदा की है और सख्ती से रोका है। साथ ही सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर उभारा है। अल्लाह तआला फरमाता है।

''और किसी कौम की दुश्मनी से अन्याय न करने लगो बल्कि हर हाल में न्याय ही किया करो क्योंकि न्याय परहेजगारी के बहुत ही करीब है (सूरे माइदा-८)

किसी भी इंसान या गुट को किसी कौम या किसी इंसान से दुश्मनी है तो उसके लिये यह जायज नहीं कि वह दुश्मनी के नशे में सारी सीमाओं और क़ानून को तोड़ डाले और जिस से दुश्मनी है उसके साथ जुल्म और अन्याय का व्यवहार करे। इस्लाम ने हर हाल में इंसाफ की तालीम दी है चाहे किसी से कितनी ही दुश्मनी क्यों न हो।

विनाशकारी कामों में जुल्म सिर्फ एक आदमी पर नहीं बल्कि बहुत सारे निर्दोष लोगों पर होता है। कभी कभार इसमें सैकड़ों बल्कि हजारों जानें तबाह हो जाती हैं। और जन सम्पदा बर्बाद हो जाता है।

ऐसी सूरत में इन कामों के हराम होने में क्या शक हो सकता है? यह बिल्कुल हराम हैं। इंसाफ करने का आदेश कुर्आन की दूसरी आयतों में भी दिया गया है। अल्लाह तआला फरमाता है ''अल्लाह तुम को इंसाफ करने का हुक्म देता है और (हर एक के साथ) एहसान करने का और संबन्धियों को जरूरत के मुताबिक देने का और बेहयाई (यानी ज़िना, उसकी तरफ उभारने वाली चीजों) और नाजायज हरकतों से और अत्याचार करने से मना करता है तुम को नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पाओ। (सूरह नहल-१०)

इस आयत में इंसाफ, संबन्धियों के साथ भलाई का हुक्म और बेशर्मी, अत्याचार हिंसा और बगावत से रोका गया है।

यह सारी आयतें इतनी व्यापी हैं कि इनकी रोशनी में किसी भी तरह की मनमानी अत्याचार अधिकार हनन, जान माल, इज्जत और दीन धर्म पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

हर तरह के अत्याचार हिंसा और अधिकार हनन का उपचार

इस्लाम में मौजूद है और उसका तरीका भी बताया गया है, उनको दूर करने के लिये जिस को कानूनी अधिकार दिये गये हैं उसे यह अधिकार इस्तेमाल करना चाहिये और लोगों को निराज और उपद्रव नहीं फैलाना चाहिये।

अल्लाह ने मुसलमानों को मुसलमानों पर भी किसी तरह का अत्याचार करने से रोका है। अल्लाह फरमाता है ''जो लोग मुसलमान मर्दों और औरतों पर बगैर किसी (लानत मलामत) के काम की यातनायें देते हैं वह बहुत बड़ा बोहतान और खुले पाप का बोझ अपनी गर्दन पर उठाते हैं (सूर अहजाब ५८१)

मुहम्मद स० ने फरमाया

हर मुसलमान की जान इज्जत और माल दूसरे पर हराम है। (बुखारी, ४०४ मुस्लिम-२५२४)

मुसलमान वह है जिस की जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। (बुखारी५१ मुस्लिम-४०)

रसूल स० ने फरमायाः बेशक अल्लाह तआला ने मुझे बताया है कि तुम नर्मी अपनाओ ताकि कोई किसी पर अत्याचार न करे और न कोई किसी पर फख्र (गर्व) करे। इन हदीसों से स्पष्ट है कि किसी मुसलमान के लिये जायज नहीं कि किसी को किसी तरह सताये और किसी के जान माल और इज्जत के लिये खतरा बने या किसी पर अत्याचार करे। इस फतवे पर जिन मुफती ओलमा और मदर्सों के पदधारियों के हस्ताक्षर हैं। वह यह है।

●●●

यह फतवा दिनाँक १८ मार्च २००६ को जारी किया गया।

मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म(१२ वीं क़िस्त)

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

मदर्से दीन व इन्सानियत के किले और उनकी समस्याएः

मदर्से दीन व ईमान के क़िले हैं और इन्सान के आचरण को बेहतर बनाने और मानवतावाद के स्थल हैं। अम्न व शान्ति के स्रोत हैं, हमारे पूर्वजों और बुज़ुर्गों ने इसे दीन और ईमान की हिफाज़त और मानवता की सफलता एवं कल्याण और दुनिया व आख़िरत की सफलता पाने के लिये अपनी गाढ़ी कमाई से स्थापित किया था और अपने निजी माल और गाढ़ी कमाई ज़कात, सदकात और औक़ाफ के ज़रिये उसको चलाने की ठानी थी जिसमें वह हर तरह से कामयाब और सहीह थे। हमारा संविधान मदर्सों, मकतबों, औक़ाफ व मक़ाबिर ईदगाह व पूजास्थल वगैरह को काइम करने की इजाज़त और आज़ादी देता है इसके बावजूद यह सब इस वक़्त चुनौतियों और कठिनाइयों में घिरे हुए हैं, इसकी बक़ा के लिये हमने क्या किया? इसकी स्थिति सूरत व सीरत परिवर्तित होकर रह न जाये इसके निवारण के लिये हमारे पास क्या फारमूला है? इसके सकारात्मक रोल जो बेशुमार हैं उसको बावर कराने और उसकी नकारात्मकताएं चाहे सही हों या प्रोपैगण्डा इसको दूर करने के लिये हमने क्या जतन किये? आज इसका जायज़ा लेकर आगे बढ़ना है और दुनिया को इनकी उपयोगिता व महानता बताना है और इस बात को नहीं भूलना है कि मदारिस दीन के क़िले हैं तो इसके संतरी और पास्बान कौन हैं इसके वासी कौन हैं। ज़ाहिर बात है कि सिर्फ फसीलों और लम्बी चौड़ी दीवारों का नाम नहीं है बल्कि इसके अध्यापक, क्षात्र और प्रशासन ही असल किलादार हैं उनको एक माददी यलग़ार और उसके आकर्षण और धोके से बचना ज़रूरी है और उनकी आत्मा दीनी शिक्षा एवं प्रशिक्षण और मानवतावाद को प्राथमिकता देनी है। साथ ही आधुनिक युग के तक़ाज़ों को भी दृष्टिगत रखना है। मदारिस वालों की ज़िम्मेदारी है और पूरी ज़िम्मेदारी और एमानतदारी से उसके निसाब को खच्चर बना देने के झण्डावाहकों की आवाज़ पर न कान धरना है और न ही आधुनिकीकरण और आधुनिक युग के तक़ाज़ों के नाम पर उनके असल मकसद से उनको वंचित करना है बल्कि तमाम मामलों की तरह मध्यमार्ग का दामन थामे रखना है और हर तरह को अतिशयोक्ति के जवाब में कहना हैः

यह मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साक़ी
यहाँ की ख़ाक से इन्साँ बनाये जाते हैं।

(जारी)

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
“Registered with the Registrar of Newspapers for India”

JULY 2026
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पताः-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28